राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2017/2011/सिरोही

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–तृतीय, वृत्त–सिरोही। ....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स राठौड़ कन्सट्रक्शन
343, आदर्शनगर , सिरोही। ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अधिवक्ता । .....अपीलार्थी की ओर से

अनुपस्थित । ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :16.07.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत्त–सिरोही (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स–द्वितीय), जोधपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.02011 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 58 के तहत् आरोपित की गयी शास्ति **₹5,000/–** में से अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से **₹2,500/–**को अपास्त करने को, विवादित किया गया है ।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी का निर्धारण वर्ष 2007–08 का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24 के तहत् दिनांक 15.12.2009 को पारित किया । अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने वक्त निर्धारण प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2007–08 से संबंधित चारों तिमाही रिटर्न तथा वार्षिक विवरण प्रपत्र वैट–10ए विलम्ब से पेश किये गये है इसलिए अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 24 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित करते हुये अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति ₹5,000/– की आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति में ₹2,500/– अपास्त कर,

लगातार.............2

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गयी । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय माया रानी पुंज बनाम कमिश्नर आफ इनकम टैक्स, देहली के तीन सदस्यीय पीठ के निर्णय 65 एस टी सी 416 के** न्यायिक दृष्टांत में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने का अपराध निरन्तर अपराध (continuing offence) की श्रेणी में आता है जो विलम्ब (Default) होने के साथ यह अपराध शुरू होता है तथा बिक्री विवरण पत्र प्रस्तुत करने तक जारी रहता है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने आगे कहा कि माननीय न्यायालय ने इस निर्णय में यह भी निर्णित किया है कि अवहेलना (Default) के समय जो कानून प्रचलित या उसके प्रावधान के अनुसार शास्ति आरोपणीय है। अभिभाषक का कथन है कि अपीलीय अधिकारी के आदेश विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथनों के साथ प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । रिकॉर्ड के परिशीलन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24 के तहत् पारित किया गया है। जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील आदेश के जरिये आरोपित शास्ति में से ₹2500/– को इस आधार पर अपास्त की गई है कि बिक्री विवरण पत्रो का विलम्ब दिनांक 08.07.2009 से पूर्व प्रारम्भ हो गया था तथा आलौच्य अवधि भी दिनांक 08.07.2009 से पूर्व की है अतः धारा 58 के संशोधित प्रावधान जो कि दिनांक 08.07.2009 से प्रभावी हुए है, के तहत इन प्रकरणों में, शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती।

6. वार्षिक विवरण पत्र 10ए विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए धारा 58 के

लगातार.............3

अन्तर्गत दिनांक 07.07.2009 तक ₹10/– प्रतिदिन के हिसाब से तथा दिनांक 08.07.2009 से नये संशोधित प्रावधानुसार 15 दिन के विलम्ब तक ₹100/– प्रतिदिन एवम् इसके आगे के विलम्ब के लिये प्रतिदिन ₹500/– अथवा अधिकतम आउटपुट का 30 प्रतिशत के हिसाब से शास्ति आरोपित की गई। दिनांक 08.07.2009 से पूर्व यानि दिनांक 07.07.2009 तक वैट अधिनियम की धारा 58 के जो प्रावधान प्रभावी थे, वो इस प्रकार है :–

(i) in case the dealer is required to pay tax every month under section 20, a sum equal to rupees ten per day for the period during which the default in furnishing such return continues, but not exceeding in aggregate twenty percent of the tax so assessed."

(ii) In all other cases , a sum equal to rupees five per day subject to a maximum limit of rupees five hundred, for the period during which the default in furnishing of such return continues

7. चूंकि हस्तगत प्रकरण में वैट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति विवादित है अतः वैट अधिनियम की धारा 58 का अध्ययन करना सुसंगत है। दिनांक 08.07.2009 से पुर्नःस्थापित (Substitute)की गई है, वो इस प्रकार है:–

"58 Penalty for failure to furnish return - Where the asessing authority or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as authorised by the Commissioner is satisfied that any dealer has, without reasonable cause, failed "to furnished" prescribed returns within the time allowed, he may direct that such dealer shall pay by way of penalty.

(i) in case the dealer is required "to pay tax month" under section 20, a sum equal to rupees one hundred per day for first fifteen days of such default and thereafter a sum equal to rupees five hundred per day for the period during which the default in furnishing such return continues, but not exceeding in the aggregate thirty percent of the tax so assessed; and

(ii) in all other cases, a sum equal to rupees fifty per day subject to a maximum limit of rupees five thousand , for the period

लगातार.............4

during which the default in furnishing of such return continues.

8. हस्तगत प्रकरण के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खण्डपीठ तीन सदस्यीय माया रानी पुंज बनाम कमिश्नर आफ इनकम टैक्स, देहली के प्रकरण में दिए गए निर्णय (65 एस.टी.सी. 416) का विवेचन किया जाना समीचीन है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि यद्यपि विलम्ब से विवरणी प्रस्तुत करने का अपराध 29 सितम्बर 1961 से प्रारम्भ हुआ ओर यह अपराध तब तक जारी रहेगा जब तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है। इस प्रकार विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने का अपराध निरन्तर अपराध (continuing offence) की श्रेणी में आता है जो विलम्ब (Default) होने के साथ यह अपराध शुरू होता है तथा बिक्री विवरण पत्र प्रस्तुत करने तक जारी रहता है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है:–

"The imposition of penalty not confined to the first default but with reference to the continued default is obviously on the footing that non-compliance with the obligation of making a return is an infraction as long as the default continued. Without sanction of law, no penalty is imposable with reference to the defaulting conduct. The position that penalty is imposable not only for the first default but as long as the default continues and such penalty is to be calculated at a prescribed rate on monthly basis is indicative of the legislative intention in unmistakable terms that as long as the assesee does not comply with the requirements of law, he continues to be guitly of the infraction and exposes himself to the penalty provided by law.

11. उपरोक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रकरण था कि व्यवहारी, जिसको कर निर्धारण वर्ष 1961–62 के लिए आयकर विवरणी दिनांक 28.9.1961 तक प्रस्तुत करनी थी, ने उक्त अवधि में विवरणी प्रस्तुत नहीं कर, लगभग सात माह विलम्ब से यानी 3.5. 1962 को प्रस्तुत की। परन्तु उक्त अवधि के दौरान आयकर अधिनियम, 1922 के स्थान पर आयकर अधिनियम, 1961(1 अप्रेल 1862 से) प्रभावी हो चुका

लगातार.............5

था, अतः आयकर अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(।)(ए) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए विलम्ब से प्रस्तुत विवरणी पर शास्ति आरोपित कर दी। माननीय न्यायालय ने इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(ए) के अन्तर्गत शास्ति इस धारा के प्रावधानानुसार आरोपित की जानी न्यायोचित है क्योंकि इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात भी यह अपराध जारी रहा।

12. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने चारों तिमाही विवरण प्रपत्र व बिक्री विवरणी प्रस्तुत करने में विलम्ब किया है जो निरन्तर अपराध (continuous offence) की श्रेणी में आता है जो विक्रय विवरणियॉ प्रस्तुत करने तक जारी रहा।

13. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने विलम्ब से पेश की गई बिक्री विवरण पत्रों के लिये वैट अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत दिनांक 07.07.2009 तक के विलम्ब के लिये तत्समय तक प्रभावी धारा के प्रावधानों के अनुसार तथा दिनांक 08.07.2009 से विलम्ब लगातार रहने तक की अवधि के लिये दिनांक 08.07.2009 से प्रभावी संशोधित प्रावधानों के अनुसार वैट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित की गई।

14. माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या **2359, 2360 व 2361/2011/सिरोही के मामलें में दिनांक 29.08.2012** को दिये गये निर्णय में भी अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को विधिसम्मत माना गया है। इस निर्णय के प्रकरण में एवम् हस्तगत प्रकरणों के तथ्यों में पूर्णतया समानता है।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्वरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, इन तीनो प्रकरणों में अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरणियॉ विलम्ब से प्रस्तुत करने पर अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित की गई शास्ति पूर्णतया उचित है परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिक दृष्टि से सही नहीं है।

16. उपर्युक्त विवेचनानुसार उद्वरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति विधिसम्मत होने से पुनर्स्थापित (restore) की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

लगातार.............6

17. परिणामतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

18. निर्णय सुनाया गया ।

16.7.2014
(मदन लाल)
सदस्य